न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 17/2023

रामस्वरूप पुत्र भौरया जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी धर्मपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा

.. अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र भौरया
2. जगदीश पुत्र भौरया
3. रमेश पुत्र भौरया
4. प्रहलाद पुत्र भौरया
5. कैलाश पुत्र भौरया

   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी धर्मपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंथल

... रेस्पों0

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.7.2022 जो नामान्तरण सं0 636 ग्राम धर्मपुरा पर पारित किया गया है।

उपस्थित– 1. श्री प्रदीप कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट (अनुपस्थित)
2. श्री गंगासहाय शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2 व 4 से 5
3. राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार सैंथल द्वारा ग्राम धर्मपुरा के पारित नामान्तरण सं0 636 दिनांक 26.7.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार दौसा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.7.2022 की अपीलांट को पूर्व में जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 7.8.2023 को अपीलांट द्वारा पटवारी से जमाबंदी की नकल मांगने पर पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरण सं0 636 की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से दिनांक 8.8.2023 को उक्त नामान्तरण की नकल ली तब उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। इसलिए अपील पेश करने में देरी हुई है जिसको क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2 व 4 से 5 ने दफा 5 कानून मियाद पर कथन किया कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सरासर गलत व मनगढन्त रूप से अंकित किये है। अपीलाधीन नामान्तरण अपीलांट व रेस्पां0 सं0 1 से 5 द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश में प्रस्तुत राजीनामा [illegible] डिक्री व राजीनामा में प्रस्तुत बंटवारा के आधार पर पारित अंतिम डिक्री की [illegible] हेतु इजराय प्रार्थना पत्र में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश [illegible] की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रार्थी [illegible] कि उसको तहसीलदार सैंथल के निर्णय दिनांक 26.7.2022 की जानकारी नहीं है, [illegible] सरासर असत्य है। [illegible] को उक्त नामान्तरण की पूर्व से ही जानकारी रही है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की मियाद पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा उनवानी रामस्वरूप बनाम रामजीलाल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दौसा ने दिनांक 4.10.2013 को राजीनामा के आधार पर निर्णय करके व दिनांक 08.10.2013 को उक्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया और प्राथमिक डिक्री इस प्रकार किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति मे वादी व प्रतिवादी नंबर 1 लगा0 5 का बराबर बराबर 1/6–1/6 हिस्सा होना बताते हुए बाई मीटस एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिकी बनाने के लिये सहमति होने पर गत पेशी पर प्रतिवादी नंबर 6.1 व 6.2 मनभर व कमला उपस्थित नही थी जिन्होने आज व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होते हुए पृथक से एक प्रार्थना पत्र मय अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि हमारे 06 भाईयों में राजीनामा हो गया है तथा सम्पति मे सभी भाईयो का 1/6–1/6 हिस्सा रहेगा प्रतिवादी कमला व मनभर वादग्रस्त सम्पत्ति में अपना हिस्सा अपने भाईयो के हक में त्याग करती है, लिहाजा गत तारीख पेशी पर तरदीकशुदा राजीनामा के मुताबिक विवादित खसरा नंबर की कृषि भूमि खरारा नंबर 158, 159/1033, 160, 213, 378/1042, 280/1043, 281, 434, 435, 443/1038, 446, 451, 457, 459 व 519/1039 कुल किता 16 कुल रकबा 4.32 है० एवं रामस्वरूप को आवंटितशुदा भूमि खसरा नंबर 305 रकबा 0. 68 है० व रामजीलाल को आवंटितशुदा भूमि खसरा नंबर 298 रकबा 0.42 है० खसरा नंबर 299 रकबा 0.35है0, खसरा नंबर 300 रकबा 0.56 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 है0 वाके ग्राम धर्मपुरा एवं दौसा स्थित वाणिज्यिक दुकान पैतृक मकान इत्यादि अन्य सम्पत्तियाँ जिनका उल्लेख वादपत्र मे है सबका बराबर बराबर 1/6 हिस्सा है जिसका पक्षकार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा करने के लिये सहमत है, प्रतिवादीगण की बहने मनभर व कमला का कथन है कि वे विवादित सम्पत्ति मे कोई हक व हिस्सा नही चाहती है तथा अपना हक उनके द्वारा सभी भाईयो को तर्क कर दिया गया है। प्रतिवादी प्रहलाद द्वारा अलोटसुदा भूमि जरिये राजीनामा विक्रय कर प्रतिफल की राशि बीस हजार रूपये प्राप्त की थी वह राशि बराबर बराबर 6 हिस्सों में विभाजित होकर सभी पक्ष उसका हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होगे ट्रैक्टर वर्तमान मे वादी रामस्वरूप के पास है तथा 24,000/– रूपये बिल की राशि उसने जमा करवायी है तथा वह ट्रैक्टर के पेटे भरपाई कर ली गयी है और ट्रैक्टर रामस्वरूप के पास रखने हेतु सभी पक्षकार सहमत है राजीनामा तस्दीक किया जाता है राजीनामा डिकी का भाग रहेगा। उक्त अनुसार निर्णय व डिकी पारित करके दिनांक 8.10.2013 को ही अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर की राजीनामा अनुसार मौके पर सम्पत्ति पर काबिज होने एवं विभाजन हेतु मौका देखने बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जावे और उक्त प्रार्थना पत्र पर श्री मुरलीमनोहर शर्मा एडवोकेट को कमिश्नर नियुक्त किया और उनके द्वारा बिना प्रार्थी को बुलाये बिना व अपनी स्वंय की रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर दिनांक 18.11.2023 को अंतिम डिकी पारित कर दी और उक्त अंतिम डिकी के आधार पर श्री मुरलीमनोहर शर्मा की रिपोर्ट के विपरीत तरीके से सम्पूर्ण डिकी का नामान्तरण खोले [illegible] जमीन का नामान्तरण संख्या 636 ग्राम धर्मपुरा भरकर और बिना कोई [illegible] अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना दिनांक 26.07.2022 को कमिश्नर रिपोर्ट के विपरीत तरीके से भरकर तस्दीक कर दिया। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैथल दिनांक 26. 07.2022 जो नामान्तरण संख्या 636 ग्राम धर्मपुरा पर पारित किया गया है, के विरुद्ध श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्ट पेश की जा रही है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जाँच किये बिना उक्त नामान्तरण तस्दीक किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट के विपरीत तरीके से उक्त नामान्तरण भरकर तस्दीक किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। श्री मुरलीमनोहर शर्मा कमिश्नर की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि खसरा नंबर 443/1038, 457 तथा खसरा नंबर 459 का रकबा 11 एयर मे से दक्षिणी भाग की 9 एयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता भौरीलाल ने अपने जीवन काल मे अपने छोटे भाई भगवानसहाय से बदल ली थी तथा बदले मे खसरा नंबर 282 की भूमि मिली थी जो वाद का हिस्सा नही है तथा उक्त तीनो खसरा नंबर की 29 एयर भूमि भगवानसहाय के वारिसान के उपयोग की बतायी थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही करके और निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट के विपरीत नामान्तरण भरकर तस्दीक किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने कोई राजीनामा पेश नही किया और प्राथमिक डिकी के विपरीत राजीनामा पेश भी नही हो सकता था और प्राथमिक डिकी के आदेशानुसार कमिश्नर ने रिपोर्ट भी पेश की थी किन्तु धोखे से प्रस्तुत किये गये राजीनामा के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है, अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने डिकी मे वर्णित सम्पूर्ण भूमि के संबंध में पालना करनी चाहिए थी, आंशिक भूमि की पालना नही कर सकते थे किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आंशिक भूमि के संबंध मे नामान्तरण तस्दीक कर कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैथल दिनांक 26.07.2022 जो नामान्तरण संख्या 636 ग्राम धर्मपुरा पर पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2 व 4 से 5 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने गलत आधारों पर नामान्तरण सं0 636 ग्राम धर्मपुरा दिनांक 26.7.2022 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमानजी के दिनांक 16.8.2023 को पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा द्वारा वाद सं0 34/2011 में राजीनामा के अनुसार पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 8.10.2023 व अंतिम निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 18.11.2013 की पालना हेतु माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा में पेश किये गये इजराय सं0 18/2014 में जारी किये गये आदेशों की पालना में तहसीलदार सैंथल द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलांट ने अपील के साथ न तो न्यायालय में हुए राजीनामा, पक्षकारों द्वारा बंटवारे बाबत किया गया राजीनामा, प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक डिकी, अन्तिम निर्णय व अन्तिम डिकी, तहसीलदार दौसा व तहसीलदार सैंथल तथा जिला कलक्टर दौसा के नाम जारी आदेश व पत्रों की प्रतियां पेश की गई है और ना ही अन्य दस्तावेजात इजराय व आदेशिका आदि पेश किये गये है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
7. रेस्पों0 सं0 1 व 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
8. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित नामान्तरण पूर्णतया सही एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
9. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
10. हमारे समक्ष विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलांट के द्वारा नामान्तरण सं0 636 ग्राम धर्मपुरा को चुनौती देते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के विपरीत उक्त नामान्तरण भरकर तस्दीक किया है जो कि नियम विरूद्ध है। अपीलांट का कथन है कि उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया था और प्राथमिक डिक्री के विपरीत राजीनामा पेश भी नहीं हो सकता है और प्राथमिक डिक्री के अनुसार मौका कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की है। किन्तु धोखे से प्रस्तुत किये गये राजीनामे के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है।

11. हमने माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा के निर्णय दिनांक 8.10.2013 की आदेशिका का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये। उसके उपरांत 18.11.2023 का माननीय न्यायालय द्वारा लिखित में प्रस्तुत किये गये राजीनामें में प्रस्तुत स्कीम में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य जरिये राजीनामे के अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। राजीनामा डिक्री का भाग होना अंकित किया।
12. अपीलांट इस बात से तो सहमत है कि उक्त नामान्तरण राजीनामे के आधार पर तस्दीक किया गया है किन्तु प्राथमिक डिक्री एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा द्वारा अपना आदेश राजीनामा के आधार पर किया गया है ना कि मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर। जहां तक कि उक्त राजीनामे पर अपीलांट के भी हस्ताक्षर है एवं उनका यह कथन कि वह राजीनामें से सहमत नहीं है, आधारहीन है। हम इस बात से सहमत है कि राजीनामें के आधार पर बंटवारे के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा होने के उपरांत पूर्व की मौका रिपोर्ट महत्वहीन हो जाती है।
13. अपीलांट की यह कथन कि नामान्तरण राजीनामे के आधार पर दर्ज न किया जाकर मौका कमिश्नर की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है यह माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा के आदेश के विरूद्ध है। अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।
14. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested